संख्या-3651/15-7-16(351)/1998

प्रेषक,

श्री अशोक गांगुली,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र 2 सामुदायिक केन्द्र,
प्रीत विहार नई दिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 31 अगस्त, 1998

विषय:- न्यू एरा एकेडमी [illegible] कालोनी सहारनपुर को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि न्यू एरा एकेडमी [illegible] कालोनी सहारनपुर को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

(1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(2) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(3) विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित होंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय [illegible] शिक्षा परिषद से अथवा बेसिक शिक्षा [illegible] से [illegible] प्रमाणपत्र [illegible] सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद [illegible] नई दिल्ली से [illegible] होती है तो उस [illegible] परिषद से सम्बद्धता प्राप्त होने की [illegible] परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः [illegible] जायेगी।

(5) [illegible] उत्तर प्रदेश [illegible] सहायता प्राप्त [illegible] कर्मचारियों [illegible] अनुरूप वेतनमानों तथा अन्य भत्तों [illegible] दिये जायेंगे।

(6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें [illegible] जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त [illegible] कर्मचारियों के अनुरूप [illegible] होंगी।

Principal
New Era Academy
Saharanpur

Manager
New Era Academy
Saharanpur

....

(7) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।

(8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

(9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(अशोक गांगुली)
संयुक्त सचिव ।

पृ०सं० 365(1)/15-7-1998 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2- क्षेत्रीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, सहारनपुर ।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, सहारनपुर ।
4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5- प्रबन्धक, न्यू एरा एकेडमी मन्सूर, कालोनी, सहारनपुर ।

आज्ञा से,

(अशोक गांगुली)
संयुक्त सचिव ।

Manager
New Era Academy
Saharanpur

Principal
New Era Academy
Saharanpur